FORM NO.III
फर्द अहकाम (नियम 26)
अज अदालत अपर जिला न्यायाधीश संख्या-1, मुकाम झुन्झुनू
दीवानी मूल वाद संख्या-31/22(CIS 05/21) मंजू देवी बनाम आशीष गुप्ता व अन्य
आदेश दिनांक 29.05.2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.05.24	अधिवक्ता वादी श्री मनोज शर्मा उपस्थित। प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री अली शेर, श्री अमित शर्मा उपस्थित। लंबित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 24(क) व 24(1) राजस्थान कोर्ट फीस एण्ड सूट वेल्यूवेशन एक्ट पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या-2 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि वादीगण ने न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त सपंत्ति बाबत उपहार पत्र, हक त्याग व विक्रय पत्र दिनांकित 29.10.2020 को शून्य व बेअसर घोषित करवाने का अनुतोष चाहा है। वादीगण ने वाद पत्र में राजस्थान कोर्ट-फीस एण्ड सूट वेल्यूवेशन एक्ट की धारा 24 व 26 का गलत निर्वचन कर विक्रय पत्र की मालियत पर आधी कोर्ट फीस अदा की गई है। दावा कम कोर्टफीस पर पेश होने से निरस्त होने योग्य है। अतः वाद वादीगण कम कोर्ट फीस पर प्रस्तुत किए जाने के कारण खारिज होने योग्य है। इसके विपरीत अधिवक्ता वादीगण ने दौराने बहस तर्क दिया कि वादीगण ने वाद पत्र में उपहार पत्र एवं हक त्याग पत्र दोनों दस्तावेज को आरम्भ से ही शून्य होना अभिवचित किया है। जो दस्तावेज शून्य होते हैं उनके लिए कोई स्टाम्प डयूटी इत्यादि पर कोर्ट फीस दिए जाने की आवश्यकता नहीं होती है जबकि विक्रय पत्र दिनांक 29.10.2020 में अंकित मालियत की आधी कीमत पर कोर्ट फीस अदा की है, जो कार्यालय रिपोर्ट में सही बताई गई है तथा न्यायालय द्वारा कार्यालय रिपोर्ट पर सुनकर दिनांक 20.01.2021 को वाद ग्रहण कर दर्ज किया गया है। मालियत वाद एवं उस पर अदा की गई कोर्ट फीस का प्रश्न कानून एवं तथ्यों का मिश्रित प्रश्न है, जिसे तनकी बनाकर साक्ष्य आने के उपरान्त ही तय किया जा सकता है। अगर न्यायालय निर्णय के समय कोर्ट फीस कम होना पाता है तो डिक्री के समय भी कोर्ट फीस अदा किए जाने के आदेश न्यायालय द्वारा दिए जा सकते हैं। धारा 24(ख) राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम 1961 में जहां वादी दस्तावेज का पक्षकार नहीं रहा हो, वहां विक्रय पत्र के मालियत की आधी कीमत पर कोर्ट फीस देनी होती है। प्रार्थी/प्रतिवादी ने मात्र देरी करने के आशय से प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त **AIR 2017 Raj 46 Jagdish Sahu & Ors. Vs Sonu Sampatram & Ors**	

प्रस्तुत किया।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया जाकर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

प्रार्थी/ प्रतिवादी संख्या-2 ने वादी द्वारा कम न्याय शुल्क पर पेश किए जाने के कारण दावा खारिज किए जाने बाबत विचाराधीन प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत किया है। इस संबंध में यदि विधिक स्थिति का अवलोकन किया जावे तो विधिक स्थिति यह है कि आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र निस्तारित करते समय न्यायालय को वाद पत्र के अभिवचनों को ही ध्यान में रखना होता है, उक्त विधिक स्थिति में यदि वादी के वाद पत्र का अवलोकन किया जावे तो वादी ने हस्तगत वाद विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा एण्वं शून्य व बेअसर घोषित किए जाने विक्रय पत्र, उपहार पत्र एवं हक त्याग पत्र बाबत पेश किया है, जिसमें विक्रयपत्र की कुल मालियत 5,30,000/- की आधी कीमत पर कोर्ट फीस अदा की है तथा उपहार पत्र एवं हक त्याग पत्र आरम्भ से शून्य होने एवं उसमें प्रतिफल राशि नहीं होने से कोर्ट फीस की आवश्यकता नहीं होना अंकित किया है। प्रतिवादी द्वारा वादीगण ने वाद पत्र में राजस्थान कोर्ट-फीस एण्ड सूट वेल्यूवेशन एक्ट की धारा 24 व 26 का गलत निर्वचन कर विक्रय पत्र की मालियत पर आधी कोर्ट फीस अदा करने बाबत जो आपत्ति उठाई है तो उक्त आपत्ति विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न है, जिसके संबंध में न्यायालय द्वारा विवाद्यक विरचित कर उभय पक्ष की साक्ष्य आहुत कर निस्तारण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। सरसरी तौर पर इस प्रक्रम पर उक्त तथ्य तय किया जाना न्यायालय न्यायोचित नहीं पाता है। अतः अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा उठाई गई उक्त आपत्ति हस्तगत प्रकरण में आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत वाद लौटाए जाने अथवा खारिज किए जाने का आधार न्यायालय नहीं पाता है और प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। परिणामतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या-2 की ओर से प्रसतुत उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 24(क) व 24(1) राजस्थान कोर्ट फीस एण्ड सूट वेल्यूवेशन एक्ट अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या-1, 2 व 8 की ओर से जवाब दावा पेश करने हेतु अवसर चाहा। आगामी पेशी पर प्रतिवादी आवश्यक रूप से जवाब दावा पेश करें।

पत्रावली वास्ते पेश होने जवाब दावा दिनांक 24.07.2024 को पेश हो।

FORM NO.III

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत अपर जिला न्यायाधीश संख्या-1, मुकाम झुन्झुनू

दीवानी मूल वाद संख्या-31/22(CIS 05/21) मंजू देवी बनाम आशीष गुप्ता व अन्य

आदेश दिनांक 29.05.2024